राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:– 10 (513)परि/पी.डी./09/ जयपुर दिनांक:– 22.04.09

कार्यालय आदेश.....09/2009

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग को नोडल विभाग बनाने की अधिसूचना जारी की है।

सड़क दुर्घटना नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग में मुख्यालय, रीजन एवं जिला स्तर पर इस कार्य के लिए "सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ" का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

मुख्यालय स्तर पर

अपर परिवहन आयुक्त, सड़क सुरक्षा (प्रभारी)
उप परिवहन आयुक्त, (नियम)
सहायक परिवहन आयुक्त, (द्वितीय)
सहायक निदेशक (सांख्यिकी),
सांख्यिकी सहायक – 1
कनिष्ठ लिपिक – 2

रीजन स्तर पर

अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रभारी)
जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
सड़क सुरक्षा उड़नदस्ता – 1
सांख्यिकी निरीक्षक – 1
कनिष्ठ लिपिक – 1

जिला स्तर पर

जिला परिवहन अधिकारी ही सड़क सुरक्षा कार्य के प्रति उत्तरदायी होंगे एवं जिलों में कार्यरत उड़नदस्ते ही सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य भी करेगे।

रीजन स्तर पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य को देखने के लिए 11 उड़नदस्तों का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जिनके नम्बर निम्नानुसार होंगे :–

1.	अजमेर	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	1
2.	अलवर	–	सड़क सुरक्षा उड़नदस्ता संख्या	–	2
3.	बीकानेर	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	3
4.	चित्तौड़गढ़	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	4
5.	दौसा	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	5
6.	जयपुर	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	6
7.	जोधपुर	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	7
8.	कोटा	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	8
9.	पाली	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	9
10.	सीकर	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	10
11.	उदयपुर	–	सड़क सुरक्षा उडनदस्ता संख्या	–	11

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्य

(1) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु तैयार की गई अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजना की क्रियान्विति।

(2) सड़क सुरक्षा हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

(3) सड़क दुर्घटना के संबंध में मोटर वाहन नियम की धारा 135 के अन्तर्गत कार्यवाही करना।

(4) सड़क दुर्घटना के कारणों की समीक्षा करने एवं उनका निराकरण करने के लिए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय करनां

(5) उपखण्ड स्तर ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा समितियां बनवाना एवं उनके द्वारा सड़क सुरक्षा के कार्य कराना।

(6) यातायात नियमों के प्रति जागरूकता व शिक्षा प्रदान करना।

(7) स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।

(8) कुशल चालकों को ही लाइसेंस देने के लिए ड्राइविंग ट्रेक का उपयोग सुनिश्चित करना, जगतपुरा ट्रेक पर सड़क सुरक्षा शोध संस्थान स्थापित करना।

(9) असंगठित क्षेत्र के सभी भारी वाहन चालकों को रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने के स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा।

(10) यातायात प्रबन्धन समितियों की मीटिंग के निर्णयों की क्रियान्विति करना।

(11) सड़क सुरक्षा उड़नदस्तों द्वारा वाहनों के निर्धारित गति सीमा, निर्धारित लेन में चलने, नशे में वाहन नही चलाने, सीट बेल्ट का उपयोग करने, वालन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नही करने, क्षमता से अधिक सवारी नही ले जाने आदि दुर्घटना के लिए उत्तरदायी अन्य कारणों की जांच करना व उक्त अपराध प्रवृत्ति को रोकना।

(12) सड़क दुर्घटना रोकने से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार, मीटिंग, अभियान आदि का कार्य।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु फण्ड

सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर अभियान आयोजित किये जायेगे तथा उड़नदस्तों के संचालन, उनको उपलब्ध कराये गये उपकरणों आदि के रख रखाव आदि के लिए कार्पस फण्ड में हाईवे पेट्रोलिंग खाते में विनियोजित राशि पर प्रति वर्ष अर्जित ब्याज की राशि के 20 प्रतिशत का उपयोग किया जा सकेगा।

रीजन स्तर पर सड़क सुरक्षा उड़नदस्तों का संधारण आदि समस्त व्यय पूर्ववत ही किया जाता रहेगा।

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव (प्रथम) मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, परिवहन मंत्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव, राज्य मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह।
7. निजी सचिव, महानिदेशक, पुलिस विभाग।
8. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
9. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त/रेंज महानिरीक्षक पुलिस।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
12. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
13. समस्त अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
14. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
15. प्रभारी स्टेट हाईवे पेट्रोलिंग फ्लाईग स्क्वाड 1 से 6
16. प्रभारी आर.एस.एफ 1 से 11

अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)